संख्या-32/201/2701/77-6-2021-6002(099)/4/2021

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक: 29 अक्टूबर ,2021**

विषय:-पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु रू.9,19,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0वित्तीय निगम के पत्रांक-332/वि0नि0/वियोवि/मुख्या0/2021-22 दिनांक 03.08.2021 एवं पत्रांक-393/वि0नि0/वियोवि/मुख्या0/2021-22, दिनांक 03.09.2021 द्वारा पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 हेतु पात्र इकाई मेसर्स मेलोडी पालीप्लास्ट प्रा0वि0,उन्नाव को पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करने हेतु प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष रू.9,19,000.00की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का विवरण निम्नवत् हैं:-

क्र0	**इकाई का नाम**	**वर्ष**	**स्वीकृत धनराशि**
1	मे0मेलोडी पालीप्लास्ट प्रा0लि0 उन्नाव।	2015-16	4,48,000.00
2	-तदैव-	2017-18	3,08,000.00
3	-तदैव-	2018-19	1,63,000.00
		कुल योग-	9,19,000.00 (रूपया नौ लाख उन्नीस हजार मात्र)

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2885-60-800-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2012 का कार्यान्वयन-27-सब्सिडी में प्रावधानित धनराशि रू.306.52करोड़ (रूपया तीन सौ छ: करोड़ बावन लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि से रू. 9,19,000.00(रूपया नौ लाख उन्नीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि जिस इकाई को भुगतान किया जाना है उसके बैंक खाते में आहरित कर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे जमा की जाएगी।
2. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
5. यह धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या-1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी. दिनांक 30.11.2012 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
6. यह धनराशि ऐसी पात्र इकाईयों, जिनका प्रत्यावेदन उ0प्र0वित्तीय निगम में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर द्वारा किया जाएगा।
8. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. उ0प्र0वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ो की शुद्धता का परीक्षण कर देय धनराशि के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे तथा उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा इस आशय की आख्या आयुक्त एवं निदेशक,उद्योग कानपुर को उपलब्ध करायी जाएगी।
10. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक,उद्योग,कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-6 /वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक 2885-उद्योगो तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय(क्रमश:)-60-अन्य(क्रमश:)-800-अन्य व्यय(क्रमश:)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

3. यह आदेश वित्त(आय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के कम्प्यूटर पर उत्पन्न अशा0सं0 ई-6-1819-2021-2022 दिनांक 27.10.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

<u>संख्या- 32/2021/2701(1)/77-6-2021-6002(099)/4/2021</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय,(लेखा एवं हकदारी),उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्य उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग,उ0प्र0शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0वित्तीय निगम को पत्रांक-332/वि0नि0/वियोवि/मुख्या0/2021-22 दिनांक 03.08.2021 एवं पत्रांक-393/वि0नि0/वियोवि/मुख्या0/2021-22, दिनांक 03.09.2021के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/4
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
8. नियोजन अनुभाग-1/4
9. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।